

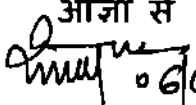
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 103 /2020

दिनांक 07.08.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./92/2020 दिनांक 22.07.2020 के द्वारा श्रीमती आराधना शर्मा (RJ01047), अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़(अजमेर) को दिनांक 20.07.2020 से 21.08.2020 तक 33 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 19.07.2020 एवं 22.08.2020 से 23.08.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 20.07.2020 से 22.07.2020 तक 03 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से
 06/08/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/35/2016/ 326।

दिनांक 07.08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर को उनके पत्रांक 16643 दिनांक 28.07.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती आराधना शर्मा (RJ01047), अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़(अजमेर)।
4. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़(अजमेर)।
5. श्रीमती मनीषा शर्मा (RJ0722), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, किशनगढ़(अजमेर)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, किशनगढ़ (अजमेर)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार